

## शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म

[(दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1991 (1992 की सं. 2) की धारा 4 (क)]

(दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा हेतु निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं ..... रमेश कुमार जैन ..... जो विधान सभा में एक स्थान को भरने के लिए

अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूँगा।

रमेश कुमार जैन

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों

(रमेश कुमार जैन)

श्री/श्रीमती ..... रमेश कुमार जैन ..... ने आज दिनांक 12-11-13 (माह) 20.....  
को ..... अपस्टेशन (AC-32) (स्थान) पर ..... बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से  
प्रतिज्ञान किया।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम, पदनाम व मुहर